निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 21 पटना, बुधवार, 31 वैशाख 1936 (श0)
21 मई 2014 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-7
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	8-15

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

निगरानी विभाग

अधिसूचना
2 मई 2014

सं० निग0 मुक0–34/2014–2280—सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2434/2013 सतीश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सख्या–2724/2013 प्रकाश नारायण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.03.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या–052/2013 का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या–052/2013 के अधिग्रहण एवं अनुवर्त्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रशेखर नारायण, उप–सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
25 अप्रील 2014

सं० 6/नि0 प्रति0 नि0–01–01/2014–**2074—**बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–207 दिनांक 26.12.13 के द्वारा तृतीय बिहार वित सेवा (सीमित) प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0 14/2010) के आधार पर योग्यता क्रम में बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तो के अधीन वेतनमान रू0 9300–34800 (पे बैंड 2) ग्रेड वेतन रू0 5400 में वाणिज्य–कर पदाधिकारी के पद पर परीक्ष्यमान रूप में योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	रौल नं0	उम्मीदवारों का नाम	संयुक्त मेधा क्र0 सं0	जन्म तिथि	गृह जिला	आरक्षण कोटि का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	300914	श्री दिलीप कुमार साह	1	01.02.72	कटिहार	पिछड़ा वर्ग	स्नातक का मूल प्रमाण पत्र
2	300855	श्री राजेश कुमार	2	26.01.76	पटना	पिछड़ा वर्ग	
3	300066	श्री उदय शंकर मिश्र	3	15.01.67	मुजफ्फरपुर	सामान्य	
4	300123	श्री प्रवीण कुमार	4	01.03.76	पूर्वी चम्पारण	पिछड़ा वर्ग	
5	301322	श्री सुनिल कुमार सिंह	5	25.12.67	भोजपुर	सामान्य	
6	301491	श्री प्रमोद चौधरी	6	02.01.71	मुजफ्फरपुर	सामान्य	
7	300974	श्री मनोज कुमार कर्ण	7	07.07.65	कटिहार	सामान्य	स्नातक का मूल प्रमाण पत्र
8	301461	श्री रोहिणी कुमार मिश्र	8	01.08.67	मधुबनी	सामान्य	
9	300713	श्री प्रेम चन्द भारती	9	05.12.73	पटना	पिछड़ा वर्ग	स्नातक का मूल प्रमाण पत्र
10	300964	श्री राजन कुमार श्रीवास्तव	10	01.06.78	पूर्वी चम्पारण	सामान्य	
11	301102	श्री अवधेश सिंह	11	07.06.67	वैशाली	सामान्य	
12	301564	श्री विनय कुमार ठाकुर	12	16.09.68	मुंगेर	सामान्य	स्नातक का मूल प्रमाण पत्र
13	301210	श्री दया शंकर सिंह	13	01.01.71	पटना	पिछड़ा वर्ग	

क्र0 सं0	रौल नं0	उम्मीदवारों का नाम	संयुक्त मेधा क्र0 सं0	जन्म तिथि	गृह जिला	आरक्षण कोटि का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
14	301385	श्री बलराम प्रसाद	15	03.01.73	सारण	पिछड़ा वर्ग	
15	301283	श्री शंकर चौधरी	17	07.05.65	मधेपुरा	पिछड़ा वर्ग	
16	301652	श्री मनोज कुमार	30	18.03.69	पटना	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	स्नातक का मूल प्रमाण पत्र
17	300455	श्री संतोष कुमार गुप्ता	31	01.02.77	भोजपुर	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
18	301130	श्री धर्मदेव कुमार	33	13.09.70	पटना	अनुसूचित जाति	
19	301449	श्री शिव नारायण पासवान	34	17.10.70	अररिया	अनुसूचित जाति	
20	301032	मो0 अनवारूल हक	40	01.01.72	कटिहार	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
21	301630	श्री बलदेव चौधरी	51	08.03.69	रोहतास	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
22	301516	श्री संतोष कुमार चौधरी	56	24.02.78	दरभंगा	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
23	300647	श्री ज्ञानी दास	72	17.01.69	गया	अनुसूचित जाति	
24	301220	श्री उदय कुमार	111	01.03.78	गया	अनुसूचित जाति	

1. उक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर वाणिज्य–कर विभाग के मुख्यालय, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान देने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों के परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

3. जिन अभ्यर्थियों के जॉच के क्रम में अभ्युक्ति कॉलम में यथा उल्लेखित मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया है, वे योगदान के समय वांछित मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, आरक्षण कोटि प्रमाण–पत्र, जन्म तिथि प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

6. नियुक्ति के प्रस्ताव में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अनापत्ति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव।

---

2 मई 2014

सं० 6/नि0प्रति0नि0–01–02/2013–**2148**–वा0कर**—**53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 125 दिनांक 02.09.13 द्वारा बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–318 दिनांक 23.01.14 द्वारा नियुक्त श्री आकाश कुमार द्वारा उनके नाम के सामने कॉलम–5 में अंकित वाणिज्य–कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना में दिये गये योगदान की तिथि से वेतनमान् 9300–34800+ग्रेड पे 5400 में बिहार वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत परीक्ष्यमान वाणिज्य–कर पदाधिकारी के पद पर योगदान स्वीकृत किया जाता है :–

क्र0 सं0	**अनुक्रमांक (रौल नं0)**	**उम्मीदवारों का नाम**	**जन्म तिथि**	**योगदान की तिथि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	272843	श्री आकाश कुमार	12.10.1981	24.01.2014

2. पूरे प्रशिक्षण अवधि में उक्त परीक्ष्यमान वाणिज्य–कर पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग मुख्यालय से सम्बद्ध रहेगें एवं तद्नुसार उनके वेतनादि का भुगतान वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय से किया जायेगा।

3. प्रस्ताव पर वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

22 जनवरी 2014

सं० 1/सह०वि०स०से० (निजी)–32/11–311—श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को उनकी पुत्री की शादी के निमित्त बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 20०01०2014 से 01०02०2014 तक कुल 13 (तेरह) दिनों का उपार्जित छुट्टी स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप–सचिव।

3 फरवरी 2014

सं० 1/सह०राज०स्था०(स्थाना०)–56/2013–360—श्री निकेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई जो जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा के अतिरिक्त प्रभार में है, को मुख्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। ये अपने वेतनादि का भुगतान जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा के पद के रूप में प्राप्त करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप–सचिव।

10 मार्च 2014

सं० 1/रा०स्था०बि०स०से०–30/2007–1122—विभागीय अधिसूचना संख्या 397 दिनांक 24.01.14 द्वारा अधिसूचित श्री चन्द्रशेखर सिंह को आवंटित कार्यो के अतिरिक्त महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, खगड़िया का भी प्रभार दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

19 फरवरी 2014

सं० 1/सह०राज०स्था०(स्थाना०)–56/2013–842—श्री कविन्द्र नाथ ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बक्सर को विभागीय अधिसूचना संख्या 731 दिनांक 12.02.14 द्वारा निलंबित किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बक्सर के पद का प्रभार ग्रहण करने का आदेश मो० शाहनवाज आलम, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, डुमराँव को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् अपने कार्यो के अतिरिक्त दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शत्रुध्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

13 फरवरी 2014

सं० 1/सह०रा०स्था०बि०स०से०(अंके०) स्थाना०–16/2012–763—श्री घनश्याम रविदास, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, दरभंगा ने (अपने स्थापना के कैश के प्रभार में रहने पर भी) अपना प्रभार स्वतः परित्याग किया है, जिसके कारण जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, दरभंगा का पद रिक्त हो गया है।

अतएव् श्री कृष्ण कान्त शर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, समस्तीपुर) को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करते हेतु आदेश दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शत्रुध्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

23 जनवरी 2014

सं० 1/रा०स्था० (अंके०)–11/10–357—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्री घनश्याम रविदास, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, दरभंगा को सहायक निदेशक, बाल संरक्षण ईकाई (वेतनमान 9300–34800, पे बैण्ड–2 + ग्रेड पे 4800) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किये जाने के आलोक में समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 5865 दिनांक 28.11.2013 द्वारा उन्हें सहायक निदेशक, बाल संरक्षण ईकाई के पद पर समाज कल्याण विभाग के अधीन नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप श्री रविदास को उक्त पद पर योगदान करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 5419 दिनांक 31.12.13 द्वारा प्रभार त्याग की तिथि से विरमित किया जा चुका है।

2. श्री रविदास का पूर्व पदस्थापित पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, दरभंगा का ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, उप–सचिव।

---

12 फरवरी 2014

सं० 1/रा०स्था०(स्थाना०)–56/2013–740—श्री भोगेन्द्र नाथ झा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (मु०), बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या–594 दिनांक 05.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया है। श्री झा अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी थे।

अतः उपर्युक्त कार्यालयों का प्रभार निम्नलिखित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है :–

1० श्री नागेन्द्र प्रसाद, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (न्या०), बिहार, पटना को उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (मु०), बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार।

2० श्री ललन शर्मा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, पटना का अतिरिक्त प्रभार।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शत्रुध्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

---

7 मार्च 2014

सं० 1/रा०स्था०(मु०)–01/2006–1075—पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–2905, दिनांक 05.07.13 को संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् सहकारिता विभाग (सचिवालय प्रभाग) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में श्री कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव, सहकारिता विभाग को अगले आदेश तक के लिए अधिसूचित किया जाता है।

(ii) यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(iii) इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

---

4 मार्च 2014

सं० 1/सह०रा०स्था० (निजी)–31/2013/1019—श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार– प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा) को स्थानांतरित करते हुए संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनके जिम्मे प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

सं० 1/सह०रा०स्था० (निजी)–31/2013/1020—श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, रहिका सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, मधुबनी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झंझारपुर) को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं० 1/सह०रा०स्था० (निजी)–31/2013/1021—श्री संदीप कुमार ठाकुर, व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

15 मई 2014

सं० ई0/चुनाव–01–44/2014–90––लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा–28ए के अन्तर्गत राज्य सरकार, बिहार राज्य में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा/बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों, आरक्षियों एवं चुनाव कार्य हेतु अधियाचित अन्य पुलिस पदाधिकारी/आरक्षी को लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 एवं विधान सभा उप–निर्वाचन, 2014 के लिए नामित करती है।

2. ये पुलिस पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 एवं विधान सभा उप–निर्वाचन की तिथि अधिसूचित होने के दिन से दिनांक 09.03.14 से 21.05.14 तक भारत निर्वाचन आयोग के अधीन निर्वाचन संबंधी दायित्वों के लिए प्रतिनियुक्त समझें जायेगें तथा इस अवधि में आयोग के नियंत्रण, देख–रेख तथा अनुशासन के अन्तर्गत रहेगें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रीता वर्मा, विशेष सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

कार्यालय आदेश

24 अप्रील 2014

सं० प्र0–1–2 (मु0स्था0–III)–प्रो0–04/10 (खंड–1)–1744/एम0––खान एवं भूतत्व विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को ए0सी0पी0 एवं रूपान्तरित ए0सी0पी0 योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन प्रदान के निमित्त वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–3/एम0–2–5पी0 आर0–28/99–4686 वि0 (2), दिनांक 25.06.2003 एवं अधिसूचना संख्या–3ए–2 वे0पु0–18/09–7549, दिनांक 13.07.2010 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 1563, दिनांक 07.06.13 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रकार विभागीय स्क्रीनिंग समिति पुनर्गठित की जाती है :–

1.	निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग	–	अध्यक्ष
2.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ वित्त विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी	–	सदस्य
3.	विशेष कार्य पदाधिकारी–I (अपर समाहर्त्ता स्तर)	–	सदस्य
4.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित अनु0 जाति/ जन जाति के प्रतिनिधि	–	सदस्य

(i) यह समिति ए0सी0पी0/ रूपान्तरित ए0सी0पी0 योजना के तहत प्रोन्नत्ति की कार्रवाई करेगी।

(ii) स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथा संभव जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। प्रथम आधे वित्तीय वर्ष (अप्रील से सितम्बर) के दौरान परिपक्व होने वाले मामले को ए0सी0पी0/ रूपान्तरित ए0सी0पी0 योजना के अधीन लाभ देने हेतु जनवरी के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचारणी होगा और उसी प्रकार द्वितीय आधे वित्तीय वर्ष (अक्टूबर से मार्च) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति विचार करेगी।

आदेश से,
सुशील कुमार, अवर सचिव।

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**05/2014-2296**

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 6th May 2014

WHEREAS, It is alleged that **Sri Arjun Prasad, the then Enforcement Sub-Inspector, Transport Department, Bihar, Patna, S/o Ramchandra Prasad, Vill. - Pamjichak, P.S. - Digha, Patna,** while holding the post of **the Enforcement Sub-Inspector, Transport Department, Bihar Patna,** and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. **13/2013** dated. **20-03-2013.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said

the then Enforcement Sub-Inspector, Transport Department, Bihar, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible
Principal Secretary to Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 09—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 9 / आरोप (राज0)(उ0)–2–04 / 2012–1751
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

संकल्प
29 अप्रील 2014

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री केदार प्रसाद, तत्का० उपायुक्त उत्पाद (आ०भा०) संप्रति सेवा निवृत के विरूद्ध सी०डब्ल्यू०जे०सी नं०–2101 / 2000 बिहार राज्य बनाम सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टेक्सेस में दिनांक 02.12.2010 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्य न्यायालय में एस०एल०पी० दायर करने में हुए अप्रत्याशित विलंब आदि हेतु आरोप विनिर्दिष्ट है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार–राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री केदार प्रसार, तत्का० उपायुक्त उत्पाद (आ०भा०) संप्रति के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों कि जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत् विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलाई जाए। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री केदार प्रसाद, के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री विनोद कुमार झा, प्रभारी उपायुक्त उत्पाद (आ०भा०) को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री केदार प्रसाद, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री केदार प्रसाद, को उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

सं० 8 / आ0 (राज0 उ0)–2–18 / 2013–617
संकल्प
7 फरवरी 2014

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री प्रहलाद प्रसाद भूषण, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, सुपौल सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, जमुई के विरूद्ध सुपौल जिला में वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति के पश्चात् जिले के खुदरा उत्पाद दुकानों में बचे स्कंध का सत्यापन कर सील बंद नहीं करने तथा लेखा वही एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त कर कार्यालय में जमा नहीं करने आदि हेतु आरोप विनिर्दिष्ट है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार–राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री प्रहलाद प्रसाद भूषण, के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के

नियम–17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री नूनू लाल चौधरी, उपायुक्त उत्पाद, (आ0 भ0), निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री प्रहलाद प्रसाद भूषण, के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में अधीक्षक उत्पाद सुपौल, को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री प्रहलाद प्रसाद भूषण, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री प्रहलाद प्रसाद भूषण, को उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

सं० 8/आ0 (राज0 नि0)–1–09/2013–529
संकल्प
31 जनवरी 2014

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री अरविन्द कुमार खाँ, अवर निबंधक, बाढ़ (पटना) के विरूद्ध दस्तावेज संख्या–1769 दिनांक 27.03.2013 के निबंधन में राजस्व की क्षति आदि हेतु आरोप विनिर्दिष्ट है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार–राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री अरविन्द कुमार खाँ के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री मणिभूषण प्रसाद, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री अरविन्द कुमार खाँ के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में जिला अवर निबंधक, पटना को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री अरविन्द कुमार खाँ से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री अरविन्द कुमार खाँ को उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

सं० 8/आ0 (राज0 उ0)–2–18/2013–525
संकल्प
31 जनवरी 2014

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुख्यालय–उपायुक्त उत्पाद, भागलपुर–सह–मुंगेर कार्यालय, भागलपुर के विरूद्ध मद्य भण्डागार–सह–देशी शराब निर्माणशाला, शेखपुरा में निर्धारित मानक शक्ति से कम शक्ति की शराब का निर्माण आदि हेतु आरोप विनिर्दिष्ट है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार–राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए उपायुक्त उत्पाद, भागलपुर–सह मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री सुरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में अधीक्षक उत्पाद, शेखपुरा को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद को उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप—सचिव।

———

सं० 8/आ0 (राज0 नि0)—1—25/2013—1071
संकल्प
9 मार्च 2014

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि मो0 कमाल अशरफ, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भागलपुर, सम्प्रति निलम्बित मुख्यालय—जिला निबंधन कार्यालय सहरसा के विरूद्ध निवास एवं अन्य ठिकानों की जॉच एवं तलाशी में उनके द्वारा प्रत्यानुपातिक धर्नाजन का ठोस साक्ष्य मिले है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा थाना कांड सं0—23/2013 दिनांक 18.06.2013, धारा—2013 (2) सह पठित धारा—13 (1) (ई) भ्र0नि0 अधिनियम दर्ज की गई है। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19, 14 एवं 3 का घोर उल्लंघन आदि आरोप विनिर्दिष्ट है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि मो0 कमाल अशरफ, के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री शैलेन्द्र नाथ सिन्हा, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

3. मो0 कमाल अशरफ, के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी (आरोप) को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

4. मो0 कमाल अशरफ, से अपेक्षा किया जाता है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं मो0 कमाल अशरफ को उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, अपर सचिव ।

———

सं० 8/आ0 (राज0 उ0)—2—20/2013—1752
संकल्प
29 अप्रील 2014

विभागीय संकल्प संख्या—3576 दिनांक 05.11.2013 द्वारा श्री सुधीर कुमार झा, अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी श्री नवीन कुमार मिश्र, संयुक्त आयुक्त उत्पाद, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के लम्बे अवकाश में प्रस्थान करने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री नवीन कुमार मिश्र के स्थान पर श्री बिनोद कुमार झा, प्रभारी उपायुक्त उत्पाद (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. संकल्प की अन्य शर्त्तें यथावत रहेगी।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री सुधीर कुमार झा, को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप—सचिव।

———

सं० 1/E1-306/2006 (खंड—1)—1415
संकल्प
1 अप्रील 2014

विभागीय संकल्प संख्या—2805 दिनांक 05.12.2006 द्वारा श्री रामदास राम, तत्कालीन जिला अवर निबंधक समस्तीपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। जिसमें श्री रामदास राम के विरूद्ध गठित आरोप पत्रों के सभी आरोपों के संबंध में अंतिम रूप से दंडादेश पारित नहीं कर मात्र एक आरोप, आरोप संख्या—3 के संबंध में ही विभागीय अधिसूचना संख्या—2046 दिनांक 06.08.2008 द्वारा दंडादेश पारित किया गया था। उक्त दंडादेश के अपूर्ण एवं आंशिक होने के कारण संचालित विभागीय कार्यवाही अंतिम रूप से निष्पादित नहीं मानी जा सकती है। अतएव श्री राम के दिनांक 30.10.2010 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त अपूर्ण विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43 (बी0) के तहत समपरिवर्तित करते हुए पुनर्संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिरोपित आरोप संख्या–1 एवं 2 के संबंध में कोई मंतव्य नहीं दिया गया है। संचालन पदाधिकारी श्री सरयुग प्रसाद प्रभाकर, उप निबंधन महानिरीक्षक के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री शैलेन्द्र नाथ सिन्हा, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी (आरोप) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री रामदास राम से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री रामदास राम को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

सं० 8/आ0 (राज0 नि0)–1–08/2014–1275
संकल्प
25 मार्च 2014

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्का0 जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर के विरूद्ध दिनांक 25.05.2007 को धावा दल द्वारा उनके आवास की तलाशी के दौरान उनके शयन कक्ष में रखे एक आलमीरा के उपर चेकदार रूमाल से ढ़का हुआ 10,000/– (दस हजार) रू0 रिश्वत का पाया गया, जो प्री–ट्रैप मेमोरेन्डम में अंकित जी0सी0 नोटो के नम्बरों के अनुसार थे। जिसके लिए निगरानी थाना कांड संख्या–067/2007 दिनांक 26.05.2007 धारा–7/13 (2) सह पठित धारा–13 (1) (डी) भ्र0नि0 अभि0 1988 का प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3 का घोर उल्लंघन आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री राजन कुमार गुप्ता के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री शैलेन्द्र नाथ सिन्हा, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

3. श्री राजन कुमार गुप्ता के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी (आरोप) को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री राजन कुमार गुप्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री राजन कुमार गुप्ता को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
20 जनवरी 2014

सं० 08/नि॰को॰(रा॰) विभागीय–701/14/263––श्री यतीन्द्र किशोर कुशवाहा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा, समस्तीपुर के विरूद्ध स्वावलम्बी समितियाँ के निबंधन में अनियमितता बरतते हुए फर्जी निबंधन करना एवं समितियों के निबंधन के निर्गत/प्रेषण कार्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से लेने के आरोप में इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–4158 दिनांक 12.09.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस संदर्भ में श्री कुशवाहा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुशवाहा के विरूद्ध लगाये गये दोनों आरोप प्रमाणित होते हैं, जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिये श्री यतीन्द्र किशोर कुशवाहा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र , पूसा, समस्तीपुर के निन्दन की सजा के

साथ–साथ तीन वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित किया जाता है एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

---

5 फरवरी 2014

सं० 08 / नि०को०(रा०) विभागीय–704 / 13–595––श्री यतीन्द्र किशोर कुशवाहा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा, समस्तीपुर के विरूद्ध मौसम वर्ष 2012–13 में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य का मात्र 19 प्रतिशत प्राप्त करने, पैक्सों को सक्रिय नहीं करने, शून्य अधिप्राप्ति करनेवाले पैक्सों का अंकेक्षण नहीं कराने, लिपिक के स्थानान्तरण के बावजूद उसे विरमित नहीं करने के आरोप में इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–3261 दिनांक 30.07.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस संदर्भ में श्री कुशवाहा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुशवाहा के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं, जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिये श्री यतीन्द्र किशोर कुशवाहा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर के निन्दन की सजा के साथ–साथ दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित किया जाता है। विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

नोट – यह दण्ड विभागीय अधिसूचना संख्या–263 दिनांक 20.01.2014 द्वारा अधिरोपित दण्ड के अतिरिक्त होगा।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

---

12 फरवरी 2014

सं० 08 / नि०को०(रा०) विभागीय–702 / 14 / 736––श्री सैय्द मशरूक आलम, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सुपौल अंचल, सुपौल सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज के विरूद्ध बड़हरा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०, जिला–सुपौल के संपादित चुनाव में संचालन पदाधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के आरोप में इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–4014 दिनांक 17.09.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस संदर्भ में श्री आलम से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री आलम के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं, जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिये श्री सैय्द मशरूक आलम, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सुपौल अंचल, सुपौल सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज के विरूद्ध बड़हरा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि०, जिला–सुपौल को निन्दन की सजा के साथ–साथ पाँच वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित किया जाता है एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

---

12 फरवरी 2014

सं० 08 / नि०को०(रा०) विभागीय–722 / 12–737––श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी अंचल, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरूद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, विधायी कार्यों में प्रश्नोत्तर सामग्री नहीं उपलब्ध कराने एवं मुख्यालय के निदेशों की अवज्ञा के आरोप में इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–4509 दिनांक 25.10.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जिसमें श्री सूर्य देव मेहता, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री मेहता, संचालन पदाधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप मो० जमाल जावेद आलम, कार्यकारी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री आलम संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहने के कारण श्रीमती मधुरानी ठाकुर, सरकार के उप–सचिव, सहकारिता विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस संदर्भ में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं, जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिये श्री दिनेश कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी अंचल, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को निन्दन की सजा के साथ–साथ एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित किया जाता है एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

---

12 फरवरी 2014

सं० 8/निग०को०(रा०)परि०–202/2013/731—श्री कवीन्द्र नाथ ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, कटिहार सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर अतिरिक्त प्रभार, सहायक निबंधक, स०स०, बक्सर के विरूद्ध जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–2349 दिनांक 30.07.13 द्वारा जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है जिसमें श्री ठाकुर के विरूद्ध फर्जी किसानों के नाम पर क्रय दिखाकर चेक द्वारा बैंक शाखा कोढ़ा से स्थायी गबन का मामला प्रकाश में आया है इसके अतिरिक्त सुल्तानगंज के अंतर्गत नोनसार पैक्स में षडयंत्र एवं जालसाजी कर बैंक की राशि गबन में सहयोग करने के आरोप में इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या– 30/2006, दिनांक 17.05.2006 दर्ज है तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना है। जनहित में इनका निलंबन आवश्यक है ताकि जाँच कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1) (क) तथा नियम–9(1) (ग) के अंतर्गत उन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

पंचायती राज विभाग

आदेश
9 अप्रील 2014

का0आ0सं0–1प/स०–1–415/2010/99/पं०रा—श्री रामबली प्रसाद, पिता– भागवत प्रसाद, ग्राम–पहाड़पुर, थाना–वजीरगंज, जिला–गया, पंचायत सेवक, बाराचट्टी, गया से प्राप्त लिखित परिवाद–पत्र के संदर्भ मं निगरानी धावा दल द्वारा श्री हरिकिशोर राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी संवर्ग), बाराचट्टी, गया को परिवादी की सेवा–पुस्तिका को अग्रतर कार्रवाई हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया के पास सम्पुष्टि हेतु भेजने हेतु रिश्वत की मांग किये जाने के सत्यापन के पश्चात् दिनांक 27.08.2010 को 10,000/– (रूपये दस हजार) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। श्री राम के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या– एस.आर.–063/2010 दायर करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी संदर्भ में श्री राम को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–211 सह पठित ज्ञापांक–8468 दिनांक 25.10.2010 से काराधीन होने के फलस्वरूप निलम्बित किया गया था। साथ ही विभागीय का०आ०संख्या–207 सह पठित ज्ञापांक–8428 दिनांक 22.10.2010 के द्वारा निगरानी थाना कोड– एस.आर.–063/2010 निग०–1807 दिनांक 27.08.2010 धारा–7/13 (2)–सह–पठित धारा–13 (1) (डी.) भ्र०नि० अधिनियम–1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री राम को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप धारा–19 (1) (सी.) भ्र०नि० अधि०, 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के अपराधिक मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–एस.आर.–063/2010 दिनांक 27.08.2010 में दर्ज प्राथमिकी तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में किये गये प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण, अनुशासनहीनता, कदाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु प्रपत्र ''क'' में आरोप–पत्र गठित किया गया।

(3) श्री राम के जेल से रिहा होने के पश्चात् योगदान स्वीकृत करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–70 सह पठित ज्ञापांक 1126 दिनांक 22.02.2010 के द्वारा उनके विरूद्ध चलाई जानेवाली अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पुनः निलंबित करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–53 सह पठित ज्ञापांक–1984 दिनांक 09.04.2012 द्वारा संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय आदेश संख्या–02 सह पठित ज्ञापांक–55 दिनांक 04.01.2013 के द्वारा श्री राम को निलम्बन से मुक्त करते हुए प्रखंड–पातेपुर, वैशाली में पदस्थापित किया गया। संचालन पदाधिकारी के स्तर से विभिन्न तिथियों में सुनवाई करते हुए अंततः जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के उपर 10,000/– (रूपये दस हजार) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने की बात को प्रमाणित बताया गया है एवं आरोपित कर्मी श्री राम के रवैया को असहयोगात्मक अंकित किया गया है।

(4) निगरानी धावा दल द्वारा श्री राम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना तथा विभागीय कार्यवाही में भी इस बात की प्रमाणिकता की पुष्टि के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में अंतर्निहित प्रावधान 18 (3) के आलोक में दंड अधिरोपित करने के पूर्व अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि विभागीय पत्रांक 1160 दिनांक 12.02. 2014 द्वारा श्री राम को भेजते हुए 15 दिनों के अंतर्गत एक अवसर अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिया गया।

(5) श्री राम द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अंर्तगत अपना अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित किया गया। श्री राम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/निवेदन (स्पष्टीकरण) के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:– (i) श्री राम द्वारा यह निवेदन किया गया है कि संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को निरस्त करते हुए पुनः दूसरा जाँच पदाधिकारी को नियुक्त किया जाय। (ii) उनका निवास (प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में श्री हरिकिशोर राम का निवास का निवास) CRPF Camp के अंतर्गत है और बिना CRPF के किसी पदाधिकारी की अनुमति के बिना आवास पर किस तरह निगरानी द्वारा raid किया गया और रिश्वत लेने के संबंध में सत्यापन पदाधिकारी द्वारा रिश्वत लेने का सत्यापन किस तरह किया गया। (iii) श्री राम द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा (प्रखंड विकास पदाधिकारी, नियंत्रण पदाधिकारी के रूप में) 7 सेवा–पुस्तिकाओं की जाँच तथा सम्पुष्टि की गयी। परन्तु इनमें से किसी भी सेवा–पुस्त की जाँच संचालन पदाधिकारी (जाँच पदाधिकारी) द्वारा नहीं की गयी। इस प्रकार जाँच पदाधिकारी द्वारा किसी भी अभिलेख में मेरे विरूद्ध नहीं मिला। (iv) श्री राम द्वारा कहा गया कि जाँच पदाधिकारी (संचालन पदाधिकारी) ने गवाह से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया। (v) श्री राम द्वारा यह कहा गया कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का गैर–कानूनी कार्य श्री रामबली प्रसाद (पंचायत सचिव) के संदर्भ में नहीं किया गया है और निगरानी के inconvenience के कारण निगरानी द्वारा false तथा fabricated मामला create कर उन्हें फंसाया गया। (vi) इनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान में मामला judicial review में है तथा मेरे विरूद्ध अभी भी charged frame नहीं किया गया है। (vii) श्री राम के द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उन्हें गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय और चूँकि गवाह सरकारी पदाधिकारी हैं जिन्हें summon करके मामले में सही निर्णय लिया जाय। (viii) इनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया और उनके द्वारा गलत तथ्यों को अंकित किया गया। (ix) संचालन पदाधिकारी (जाँच पदाधिकारी) द्वारा सिर्फ दो निगरानी पदाधिकारियों का कथन इक्ट्ठा किया गया और उसी पर कार्रवाई की गयी ।

(6) श्री राम द्वारा प्रस्तुत किये गये उपर्युक्त निवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को निरस्त करने तथा दूसरा जाँच पदाधिकारी को नियुक्त करने का निवेदन किया गया, जो मान्य नहीं है क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पूरा अवसर दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि इनके विरूद्ध charge frame नहीं किया गया है, इस विषय पर निगरानी विभाग के पत्रांक 2464 दिनांक 31.12.2010 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राम के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या–087/2010 दिनांक 25.10.2010 द्वारा सक्षम न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। इनके द्वारा कहा गया है कि इनका निवास CRPF Camp के अंतर्गत है और सत्यापन पदाधिकारी द्वारा उस Camp के अंतर्गत रिश्वत लेने का सत्यापन किस तरह किया गया। यह तर्क सत्य नहीं है क्योंकि सत्यापन पदाधिकारी द्वारा रिश्वत लेने का सत्यापन किया गया है जिसमें CRPF का Camp कोई बाधक नहीं है। इनके द्वारा कहा गया है कि इनके विरूद्ध निगरानी द्वारा false तथा fabricated मामला बनाकर फंसाया गया है, जो सही नहीं है क्योंकि निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा इन्हें 10,000 रूपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा गवाह प्रस्तुत करने का अवसर की मांग की गयी है और यह भी कहा गया है कि गवाह सरकारी पदाधिकारी हैं जिन्हें बुलाकर सही निर्णय लिया जा सकता है। इनका यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि **''आरोपित के समक्ष दोनों गवाहों का बयान लिपिबद्ध किया गया। आरोपित के विरूद्ध आरोपी के द्वारा जिरह की मांग नहीं की गयी। कोई प्रश्न भी उचित नहीं माने जाने पर नहीं किया गया। सभी उपस्थित गवाहों एवं उपस्थापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए आरोपित को भी हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। आरोपित को कोर्ट से बाहर निकलकर अपने किसी दो लोगों से सम्पर्क करते देखा गया। तत्पश्चात् गायब हो गये। अतः आरोपित का हस्ताक्षर बयान पर नहीं लिया जा सका। आरोपित निर्धारित नियत समय से काफी विलम्ब करते हुए कोर्ट में 2.00 बजे उपस्थित हुए थे जो उनके असहयोगात्मक रवैया को दर्शाता है।''** इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा गवाह प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने का निवेदन स्वीकार्य नहीं है। गवाह इनके सम्मुख उपस्थित भी हुए परन्तु इनके द्वारा जिरह भी नहीं किया गया। इनके द्वारा यह कहना कि दो निगरानी पदाधिकारियों के कथन पर ही कार्रवाई की गई है, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन पदाधिकारियों के विरूद्ध इनके द्वारा कोई तत्समय कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी।

(7) श्री राम द्वारा अपने अभ्यावेदन/निवेदन (स्पष्टीकरण) में उठायी गई बातों से आरोपों की प्रमाणिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखता है। निश्चित रूप से यह विश्वास करने योग्य है कि यह राशि आरोपी सेवक श्री हरिकिशोर राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी, गया ने अपने पदीय शक्ति का दुरूपयोग करते हुए अपने मातहत कर्मी से लोक सेवा प्रदान करने के एवज में प्राप्त किया जो भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अंतगर्त भ्रष्ट आचरण के रूप में प्रमाणित होता है।

(8) आदेश– उपर्युक्त तथ्यों की गहराई से समीक्षा करने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित है तथा उनका आचरण सरकारी सेवा में बनाये रखे जाने योग्य नहीं है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम के भाग–V के नियम–14 (X) में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में श्री हरिकिशोर राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी, गया जो वर्तमान में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पातेपुर प्रखंड, वैशाली के पद पर पदस्थापित हैं को तत्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

(9) इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को निबंधित/स्पीड–पोस्ट से तुरंत उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 09—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in